"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 240] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 सितम्बर 2006—आश्विन 7, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/89/2006/वाक/पांच (81).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-2 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

अनुक्रमांक 123 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाए :—

अ. क्र. (1)	विवरण (2)	धारा 8 के अधीन कर की दर (प्रतिशत) (3)
124	स्टे सेट्स, ट्रांसमिशन लाईन फिटिंग्स तथा डिस्ट्रीब्यूशन लाईन के लिये क्लेम्पस्	4

यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2006 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2006

क्रमांक एफ-10/89/2006/वाक/पांच (81).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/89/2006/वाक/पांच (81), दिनांक 29 सितम्बर, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 29th September 2006

NOTIFICATION

No. F-10/89/2006/CT/V (81).—In exercise of the powers conferred by section 15-A of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendments in part II of Schedule II of the said act :—

AMENDMENT

After serial No. 123 the following entries shall be added :—

S. No. (1)	Description (2)	Rate of tax u/s. 8 (percent) (3)
124	Stay sets, transmission line fittings and clamps for distribution line	4

This notification shall come into force with effect from 1st October, 2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.